केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
नई दिल्ली

तारीख : 10 जुलाई, 2015

अधिसूचना

सं.एल–1/94/केविविआ/2011 : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178(2)(ध) के साथ पठित धारा 61 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2012 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्ः

1. सक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे और 31.3.2017 तक वैध रहेंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 38 का संशोधन :

मूल विनियम के विनियम 38 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाः

"38. स्टेशन हीट रेट

वार्षिक आधार पर क्लोरोफिक मूल्य के 15% तक फॉसिल ईंधन प्रयोग करने वाली बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए स्टेशन हीट दर निम्नानुसार होगीः

क. ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलरों का प्रयोग करने वाली परियोजना के लिए 4126 किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा

ख. एएफबीसी बॉयलरों का प्रयोग करने वाली परियोजना के लिए 4063 किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा"

3. **मूल विनियम के विनियम 43 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 43 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाः

"43. क्लॉरीफिक मूल्य

क्लॉरीफिक अंशदान के 15% तक फॉसिल ईंधन का प्रयोग करने वाली बायोमास आधारित परियोजनाओं के लिए, टैरिफ के अवधारण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त ईंधन का क्लॉरीफिक मूल्य 3174 किलो कैलोरी/किलोग्राम होगा"

हस्ता/–
(शुभा शर्मा)
सचिव

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, क्रम संख्या 20 में तारीख 7.2.2012 को प्रकाशित किए गए थे, प्रथम संशोधन विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 क्रम संख्या 92 में 21.3.2014 को प्रकाशित किए गए थे और दूसरा संशोधन विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3, खंड 4, क्रम संख्या 06 में तारीख 5.1.2015 को प्रकाशित किए गए थे।